



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 07 माह 15 दिन के कठोर कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 559/2022 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एनडीपीएस-एफटीसी -2 कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सन्तोष कुमार यादव पुत्र ओम प्रकाश यादव मोहल्ला सिकन्दर पुरा थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 07 माह 15 दिन का कठोर कारावास एवं ₹2,000/- के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



विशेष लोक
अभियोजक प्रवीण
कुमार भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 अशुतोष
त्रिपाठी



पैरोकार
थाना - राठ
का0 सर्वज्ञ